

रामकृष्ण पुत्र स्व.श्री तोफान सिंह , आयु 32
साल, व्यवसाय कृषि , निवासी ग्राम अमरोद
सिंगराना तहसील नई सराय जिला अशोक
नगर मध्यप्रदेश

..... आवेदक

बनाम

1. रविन्द्र सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह रघुवंशी
निवासी अमरोद सिंगराना तहसील नई
सराय जिला अशोक नगर म.प्र.
2. बाबूलाल पुत्र भगवान सिंह रघुवंशी
3. कुसुमलबाई पुत्री भगवान सिंह रघुवंशी
4. हरी सिंह पुत्र स्व. श्री तोफान सिंह रघुवंशी
5. गुड्डीबाई पुत्री स्व. श्री तोफान सिंह
रघुवंशी
6. अनीता बाई पुत्री स्व. श्री तोफान सिंह
रघुवंशी
7. रामकली बाई बेबा तोफान सिंह रघुवंशी
समस्त निवासीगण - अमरोद सिंगराना
तहसील नई सराय जिला अशोक नगर
8. मध्यप्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार नई
सराय जिला अशोक नगर म.प्र.

.... अनावेदकगण

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता विरुद्ध न्यायालय
तहसीलदार नई सराय जिला अशोक नगर म.प्र. प्रकरण क्रमांक
33अ-6/ 2013- 14 अपील में पारित आदेश दिनांक 13.03.2015 से
परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

दिनांक 11-5-15 को
श्री विनायक श्रीवास्तव को
द्वारा प्रस्तुत।
11-5-15
50



शाखा प्रभारी (रा.म.)
कार्यालय तहसीलदार, ग्वाहा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग -- अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1042-दो/2015

जिला अशोकनगर

रामकृष्ण

विरुद्ध

रविन्द्र सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकर्तों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-6-2015	<p>आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार नईसराय जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 33/अ-6-अ/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 13-3-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की है।</p> <p>2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण के साथ संलग्न आदेश की सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है तहसीलदार ने आदेश दिनांक 13-3-2015 के द्वारा प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया गया है। तहसीलदार के अंतिम आदेश के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 में अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। अतः यह निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं होने से निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p>(डॉ० मधु खरे) सदस्य</p>	